भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2654

दिनांक 04 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

एनएलएम-ईडीपी का कार्यान्वयन

2654. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या योजना की शुरुआत से लेकर अब तक संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) के अंतर्गत किन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) लद्दाख से प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है और मांगी गई और स्वीकृत की गई राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लद्दाख में एक बड़ी आबादी के अपनी आजीविका के लिए पशुधन और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर होने के बावजूद वहां इस योजना के खराब कार्यान्वयन के क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस संघ राज्यक्षेत्र में योजना के प्रति कम रुझान के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करने हेतु कोई आकलन या जांच की है; और

(घ) क्या सरकार का योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने तथा लद्दाख में कुक्कुट-आधारित उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए 1.30 करोड़ रु. की प्रस्तावित सब्सिडी के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास (NLM-EDP) पोर्टल में कुल दस परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। उपर्युक्त किसी भी परियोजना की सिफारिश संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा नहीं की गई है।भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा इन परियोजनाओं पर विचार करने के लिए इस समिति की मंजूरी अनिवार्य है। इसलिए, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग(DAHD), द्वारा किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) एक क्रेडिट-लिंक्ड मांग आधारित योजना है। पशुपालन और डेयरी विभाग, उद्यमियों और किसानों के बीच जागरूकता सृजन के लिए सरकारी अधिकारियों और बैंकरों के साथ लगातार बातचीत करता है। विभाग ने संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इस योजना के तहत पोल्ट्री कार्यकलापों सहित पशुधन आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और हर कदम पर आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, ऋण देने वाले संस्थानों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों,परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की बैठकों, राज्य नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों और केंद्र स्तरीय बैंकर्स समिति (CLBC) की बैठकों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।
